न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 09/2021

1. रमेशकुमार पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. विनयकुमार पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. शकुन्तला पत्नी साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. चन्द्रकला पुत्री मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. अमरसिंह पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. बलवत पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. मोहनलाल पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3, 7

निर्णय दिनांक–14.02.2023

अपीलांट रमेशकुमार पुत्र मातराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ने निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 18.01.2008 जिसमें इंतकाल संख्या 444 रोही मोजा चक नं0 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर

14/2/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तस्दीक किया गया को निरस्त करवाने हेतु अपील पेश की है जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

1. यह कि अपील कृत निर्णय विधि विरूद्व तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल इंतकाल संख्या 444 संलग्न अपील है।
2. यह कि संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक न. 1 जे.एस. एन. तहसील नोहर के प.नं. 356/365 (52) कि.नं. 1, 10 की 0.5060 प.नं. 357/360 (2) कि.नं. 3 ता 8, 12 ता 15 की 1.9120 प.नं. 358/360 (3) कि.नं. 1 ता 4, 9, 10, 11/1, 11/2, 12 की 1.6700 कुल 4.0880 हैक्टेयर भूमि में से 100 हिस्सा भूमि का मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर जरिये बैयनामा दिनांक 29.01.1990 खरीदशुदा खातेदार काश्तकार था, जिसने अपने जीवन काल में ही विवादित भूमि की एक वसीयत दिनांक 25.07.1990 को उप पंजियक नोहर से अपने चार पुत्रो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं. 5 ता 7 के पक्ष में तस्दीक करवा दी थी तथा मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर का दिनांक 20.10.2002 को देहांत हो गया इसलिए बाद देहांत मातराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 मुताबिक वसीयत दिनांक 25.07.1990 के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे लेकिन मातहत अदालत द्वारा मुताबिक वसीयत दिनांक 25.07.1990 के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 5 ता 7 के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की बजाय अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 4 ता 7 एवं साहबराम पुत्र मातराम के नाम विधि विरूद्व तरीके से विवादित भूमि का इन्तकाल न. 444 दिनांक 18.01.2008 को विरास्तन तस्दीक कर दिया गया जबकि साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोडेन्ट नं0 4 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है, इसलिए मातहत अदालत ने अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 के नाम मुताबिक वसीयत भूमि दर्ज नहीं कर कानून की स्पष्ट अवहेलना कर इन्तकाल नं. 444 दिनांक 18.01.2008 को तस्दीक किया गया है, जो निरस्त योग्य है।
3. यह कि साहबराम पुत्र मातराम फौत हो चुका है, जिसके जायज वारीस रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 3 ही है।
4. यह कि साहबराम पुत्र मातराम व रेस्पोडेन्ट नं. 4 ने साजिसाना तरिके से विवादित भूमि में हक व हिस्सा ना होने के बावजूद भी वसीयत को नजर अन्दाज कर विरास्तन इन्तकाल गुपचुप तरीके से मातहत अदालत से दिनांक 18.01.2008 को इंतकाल संख्या 444 तस्दीक करवा लिया गया, जो विधि के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।
5. यह कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व कब्जा संम्बधी जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

14/2/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. यह कि वसीयत दिनांक 25.07.1990 में स्पष्ट लिखा है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 को ही विवादित भूमि प्राप्त होगी अन्य किसी वारिस का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा, उसके बावजूद भी मुताबिक वसीयत दिनांक 25.07.1990 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं कर मातहत अदालत ने अहम् भूल की है, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।
7. यह कि मातहत अदालत को निर्णय करने से पूर्व जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है
8. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है।
9. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है
10. यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 5 ता 7 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार कास्त करते आ रहे एवं मुताबिक वसीयत वसीयत दिनांक 25.07.1990 के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुके है लेकिन ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को देखा अब मुताबिक वसीयत दिनांक 25.07.1990 के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के लिए मातहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलान्ट को विरास्तन इन्तकाल नं. 444 दिनांक 18.01.2008 की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतंकाल की नकल दिनांक 14.07.2021 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध इंतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।
11 .यह कि अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।
12 यह कि अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा ।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 444 रोही मोजा चक नं. 1 जे.एस.एन. तहसील नोहर दिनांक 18.01.2008 निरस्त करने का आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

अपील अपीलांट प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड का तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से श्री विजयसिंह कड़वासरा उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–4, 5, 6, 7 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या–4, 5, 6 उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुये। अधिवक्ता अपीलांट एंव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3, 7 की बहस सुनी गई। अधिवक्त अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय विरूद्ध तहसीलदार(भू0अ0) नोहर दिनांक 18.01.2008 जिसमें इंतकाल संख्या 444 रोही मौजा चक नं0 1 जेएसएन तहसील

14/2/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर तस्दीक किया गया को, निरस्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 18.01.2018 को स्वीकृत इंतकाल संख्या 444 रोही मौजा चक 1 जेएसएन की 4.088है0 भूमि में से 5 बीघा भूमि मातराम पुत्र सुरजाराम की दिनांक 29.01.1990 की खरीदशुदा है। मातराम पुत्र सुरजाराम ने एक वसीयत दिनांक 25.07.1990 को अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 7 के पक्ष में करवा दी। दिनांक 20.10.2002 को मातराम का देहांत हो गया। मातराम पुत्र सुरजाराम के देहांत होनें के पश्चात मुताबिक वसीयत खातेदार काश्तकार हो गये। दिनांक 18.01.2008 को विरासतन इंतकाल हो गया जबकि दिनांक 25.07.1990 को वसीयत हो चूकी थी। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया, जबकि प्रभावित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है ओर न ही कब्जा काश्त का मौका निरीक्षण किया गया। मै खातेदार काश्तकार था, जब मैनें वसीयत के इंतकाल का जानना चाहा तभी विरासतन इंतकाल का पता चला एंवम न्यायालय हाजा में अपील पेश कर दी एंव प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम संलग्न है। जब मेरी प्रकरण मेरी जानकारी में आया तभी अपील पेश कर दी। जहां गुणावगुण का प्रश्न हो, वहा म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 , 7 ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयतकर्ता के पड़दादा पुरखाराम की भूमि थी। उनके देहांत बाद फिर रूपाराम को मिली। रूपाराम के दो पुत्र–इसरराम व सुरजाराम थे। सुरजाराम के 5 पुत्र थे। मातराम, सुरजाराम का पुत्र था। मातराम के 5 लड़के थे। उक्त भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। संयुक्त परिवार की आय से ही यह 5 बीघा भूमि अर्जित की थी। मातराम आय का साधन यही भूमि थी, अन्य कोई जिविका का साधन नहीं था। मातराम की मृत्यु दिनांक 20.02.2002 को हुई थी। दिनांक 20.10.2008 को इंतकाल संख्या 444 दर्ज हुआ, जो कि विरासतन था। बैंक से लोन भी ले लिया गया लेकिन 20 वर्ष बाद अपील पेश की है। मातराम पुत्र सुरजाराम का देहातं हो चुका है और इंतकाल तस्दीक किया गया तब भी अपीलांट ने ऐतराज नहीं किया ओर न ही वसीयत पेश की। मातराम के पुत्र साहबराम फौत हो चुके है। माननीय सिविल न्यायालय में दावा चल रहा है। वसीयत के बिंदु पर इंतकाल फिस्कल प्रविष्टि है। यह हक निर्धारण नहीं करता। सुनवाई के अवसर के बिंदु पर यह निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट को विरासतन इंतकाल का ध्यान था, क्योंकि उन्होनें के.सी.सी. करवाई है। केवल हमें परेशान करनें के लिए अपील पेश की है। वारिसान को आपस में बंटवारा हो चुका है। लगभग 20 वर्ष बाद वसीयत पेश की है, जो कि सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अपील खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट अपील के तथ्यों के हटकर बात की है उक्त अपीलाधीन भूमि को दादा–परदादा की जमीन बताई है। तथ्य के आधार पर यह बात दावे से साबित की जाती है जबकि अपील इंतकाल की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस सुनी और पत्रावली का गहराई से अवलोकन–मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट होता है कि मातराम का देहांत दिनांक 20.10.2002 को हो चुका था और उसका विरासतन इंतकाल दिनांक

14/9/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

18.01.2008 को दर्ज हुआ, जिससे सभी वारिसान के नाम दर्ज हो गए। तत्पश्चात वारिसान द्वारा रहननामा जारी करवाकर उस रहननामें का नामान्तरण दर्ज करवाया। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट को उक्त विरासतन नामान्तरण की पूर्ण जानकारी थी जबकि वसीयत दिनांक 25.07.1990 में की जा चुकी थी। वर्ष 2002 में मातराम की मृत्यु की पश्चात वर्ष 2008 में विरासतन इंतकाल दर्ज होनें एंव तत्पश्चात इस अपील के पेश करने तक उक्त जानकारी को क्यो छुपाए रखा गया, यह एक संदेह उत्पन्न करता है। इससे जाहिर होता है कि अपीलांट स्वच्छ नीयत से न्यायालय में नहीं आये है। यहां धारा 5 म्याद अधिनियम महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। ऐसे में यह अपील गुणवगुण से पूर्व म्याद पर ही निर्णीत करनें योग्य हो जाती है। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा –5 म्याद अधिनियम खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह भूमि खरीदशुदा थी तो मातराम की आय का अन्य क्या जरिया था जिससे उसके द्वारा यह भूमि अर्जित की गई। अगर था तो अपीलांट को यह दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए था। मातराम की वसीयत क्या विधिक महत्व रखती है, यह अन्य न्यायालय का प्रशन है, और संलग्न दस्तावेजों से जाहिर होता है कि यह वसीयत सिविल न्यायालय में प्रशनगत है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामान्तरण का प्रश्न है, यह नामान्तरण विरासतन आधार पर भरा गया है और सभी वारिसानों के नाम इसमें दर्ज है। तत्पश्चात के. सी.सी. होकर रहन के दस्तावेज भी संलग्न है जिससे जाहिर होता है कि विरासतन इंतकाल की अपीलांट को जानकारी थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अतः गुणावगुण के आधार पर भी यह अपील खारिज योग्य है।

दोनों बिन्दुओं के विस्तृत विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज योग्य होनें से अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 14.02.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

14/2/2023

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)